पन्नैयार

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा तमिलनाडु राज्य

(2008 की दांडिक अपील संख्या 829)

17 अगस्त, 2009

[वी.एस. सिरपुरकर तथा दीपक वर्मा, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 302 तथा धारा 392 सहपठित धारा 397 — एक महिला की हत्या तथा उसके द्वारा पहने गए स्वर्ण आभूषणों की चोरी — प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कान के बुंदों की एक जोड़ी तथा स्वर्ण श्रृंखला के गायब होने का आरोप — घटना के 12 दिन बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी, चिकित्सालय से, जहाँ साक्षी संख्या 7 चिकित्सक था, आभूषणों सहित — मृतका के भाई का साक्ष्य कि उसने घटना के दिन अभियुक्त को मृतका का पीछा करते हुए देखा था, मृतका द्वारा पहने गए आभूषणों की अभियुक्त से बरामदगी, अभियुक्त के रक्तरंजित वस्त्र की बरामदगी तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना — अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर धारा 302 तथा धारा 392 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दण्डादेश — क्या संधारणीय है — अभिनिर्धारित : संधारणीय नहीं — मृतका के भाई का कथन दर्ज करने में विलंब हुआ तथा उसका साक्ष्य भी असंगत था — आभूषणों की अभियुक्त से बरामदगी के संबंध में अभियोजन का कथन विश्वास योग्य नहीं — पति यह स्थापित करने में असफल रहा कि उक्त आभूषण मृतका के ही थे — अभियुक्त से हथियारों तथा रक्तरंजित जैकेट की बरामदगी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता — विचारण न्यायालय ने पुनः परीक्षण के माध्यम से नए तथ्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति देकर त्रुटि की — लूट का

उद्देश्य भी विद्यमान नहीं था क्योंकि अभियुक्त मृतका के परिवार के सदस्यों को ज्ञात था — अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किए गए।

दांडिक अपील न्यायनिर्णयः 2008 की दांडिक अपील सं. 829

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा दांडिक अपील संख्या 299 सन् 1997 में दिनांक 20.02.2006 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए एस. महेंद्रन।

उत्तरदाता के लिए वी. कनगराज, तमीम हाशिमी, प्रोमिला (एस. थानंजयन के लिए)।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

वी. एस. सिरपुरकर, न्यायमूर्ति 1. वर्तमान अपीलकर्ता अपने विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा धारा 392 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि को चुनौती देता है। अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला निम्न प्रकार है।

2. अपीलकर्ता पन्नैयार पर उपर्युक्त अपराधों का आरोप इस आधार पर लगाया गया कि 18.1.1995 और 19.1.1995 की मध्यरात्रि में उसने तिलगवल्ली (मृतका) की हत्या की तथा उसके द्वारा पहने गए स्वर्ण आभूषणों की चोरी भी की। अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों का परीक्षण कराया, 22 दस्तावेजों पर निर्भर किया तथा 15 भौतिक वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया।

तिलगवल्ली का विवाह सुब्बैया नायकर (गवाह संख्या-1) से हुआ था। वह मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत महिला थी। वे दोनों तमिलनाडु के कीलामरिकाडु गाँव में रहते थे। घटना वाले दिन उसने लगभग रात्रि 8:30 बजे अपने पति से कहा कि वह शौच के लिए गाँव के दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। अभियोजन का कथन है कि सामान्यतः ग्रामीण 'कनमई' (स्थानीय तालाब) के निकट जाया करते थे। जब वह रात्रि 9 बजे तक वापस नहीं लौटी, तब उसका पति (सुब्बैया) अपने पुत्र के साथ उसकी खोज में निकला। तथापि, वे कनमई के

अंतिम छोर तक नहीं गए। उन्होंने पूरी रात उसकी तलाश की, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। प्रातःकाल, पोनुथाई नामक एक महिला, जो शौच के लिए गई थी, ने मृतका के पुत्र को सूचना दी कि तिलगवल्ली कनमई के पश्चिमी भाग में पड़ी हुई है। अतः वे लगभग प्रातः 6:30 बजे वहाँ पहुँचे और पाया कि तिलगवल्ली मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी मृत्यु हो चुकी थी तथा उसके सिर, ललाट और मुँह के बाएँ भाग पर चोटें थीं। उसके शरीर पर उसके आभूषण नहीं थे, अर्थात लगभग तीन सॉवरेन वज़न की स्वर्ण श्रृंखला, कटोरी आकार का ताली तथा कान के बुंदे, जिनकी कीमत लगभग ₹10,000 से ₹12,000 थी। इस पर सुब्बैया (अभियोजन साक्षी संख्या-1) ने अपने गाँव के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी राजा से संपर्क किया और उसके समक्ष शिकायत दर्ज कराई। तत्पश्चात दोनों तुरंत पुलिस थाने गए और प्रतिवेदन दर्ज कराई। उस प्रतिवेदन में उसने पूरी घटना का वर्णन किया, जिसमें गायब आभूषणों का विवरण भी सम्मिलित था। उसने विशेष रूप से "कानों में पहनने वाली बुंदों की एक जोड़ी" के गायब होने का उल्लेख किया। इसी आधार पर जाँच प्रारम्भ हुई। मृत शरीर को शव परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसमें यह स्थापित हुआ कि मृतका को मृत्यु पूर्व चोटें लगी थीं। अगले दिन उसी गाँव में उसका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें कथित रूप से अभियुक्त भी सम्मिलित हुआ। मृतका के संबंधी भी उस अंतिम संस्कार में उपस्थित थे, जिनमें थिरु अलवारसामी (अभियोजन साक्षी संख्या-4) भी शामिल थे। अंततः जाँच के आधार पर अभियुक्त को 12 दिन बाद चिकित्सक आनंदराज के चिकित्सालय से गिरफ्तार किया गया, जिनका परीक्षण गवाह संख्या-7 के रूप में हुआ। यह पाया गया कि अभियुक्त को कुछ चोटें आई थीं, जो गंभीर प्रकृति की थीं तथा हड्डी टूटने से संबंधित थीं। उसके दाहिने टिबिया के निचले एक-तिहाई भाग में, बाएँ अल्ना के मध्य एक-तिहाई भाग में तथा दाहिने टिबिया के निचले एक-तिहाई भाग में तिरछा फ्रैक्चर था। उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। अभियोजन का दावा है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त ने उपर्युक्त आभूषण, जिनमें स्वर्ण श्रृंखला और ताली भी सम्मिलित थे, प्रस्तुत किए तथा बताया कि उसने एक कान का बुंदा

कोविलपट्टी में आभूषण की दुकान चलाने वाले शंकर (अभियोजन साक्षी संख्या-6) को बेच दिया था। जाँच दल उक्त दुकान पर गया और वहाँ से "कानों के बुंदों की एक जोड़ी" जब्त की। अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके वस्त्र भी जब्त किए गए, जिन पर रक्त के धब्बे थे। अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना पर एक लाठी तथा एक अरुवाल (धारदार हथियार) भी बरामद किए गए। इन्हीं आधारों पर अभियोजन पक्ष ने आरोपपत्र प्रस्तुत किया तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने की प्रार्थना की।

3. चूंकि आरोपी ने अपना अपराध छोड़ दिया था, इसलिए उस पर जी अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक द्वारा मुकदमा चलाया गया था। दण्डाधिकारी, कामराजार जिला, श्रीविल्लिपुथुर, जिन्होंने पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार किया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि की, जिससे वर्तमान अपील की आवश्यकता हो गई।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह था कि संपूर्ण अभियोजन कथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मानी गई मूल परिस्थितियाँ निम्नलिखित थीं:-

(i) थिरु अलवारसामी (अभियोजन साक्षी -4) का साक्ष्य, जिसके अनुसार उसने अभियुक्त को उस शाम थिलागवल्ली का पीछा करते हुए देखा था, जब वह शौच के लिए जा रही थी;

(ii) थिलागवल्ली द्वारा मृत्यु से पूर्व पहने गए आभूषणों की बरामदगी। इसमें, जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, तब उसने सोने की चेन और थाली कटोरी प्रस्तुत की थी, जबकि उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने कान का बाला बेच दिया था, जिसकी बरामदगी उसने शंकर (अभियोजन साक्षी -6) की दुकान से कराए जाने पर सहमति व्यक्त की;

(iii) अभियुक्त के रक्तरंजित वस्त्र, जिनके संबंध में अंततः यह सिद्ध किया गया कि उन पर मानव रक्त लगा हुआ था;

(iv) अभियुक्त द्वारा अपने शरीर पर आई चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न देना।

विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय दोनों ने इन परिस्थितियों को स्वीकार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चूँकि अभियुक्त मृतका द्वारा पहने गए आभूषणों के कब्जे में पाया गया, इसलिए वह न केवल चोरी का दोषी था, बल्कि उसकी हत्या का भी दोषी था, और इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 पर भरोसा किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी लगभग इन्हीं सभी परिस्थितियों को स्वीकार किया, यद्यपि उसने अपने निर्णय में उनका विस्तार से पृथक्करण नहीं किया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में से किसी को भी अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध नहीं माना जा सकता था और इसलिए अभियुक्त बरी किए जाने का अधिकारी था।

6. इसके विपरीत, श्री वी. कनागराज, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित थे, ने निर्णय का समर्थन किया और यह इंगित किया कि ये परिस्थितियाँ सामान्यतः न केवल यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थीं कि अभियुक्त ने थिलागवल्ली के आभूषणों की लूट की, बल्कि उसी लेन-देन के दौरान उसकी हत्या भी की।

7. हम पहले परिस्थिति को लेते हैं। गवाह अलवारसामी (अभियोजन साक्षी-4) ने अपने साक्ष्य में बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके और थिलगावल्लि के बीच बातचीत नहीं होती थी, जबकि थिलगावल्लि उसकी अपनी सगी बहन थी। जिस समय उसने अभियुक्त को देखा, उस समय वह (अलवारसामी) अपने सगे बड़े भाई रामासुब्बु के साथ था। अभियोजन पक्ष ने रामासुब्बु को, जबकि उसका बयान भी दर्ज किया गया था, गवाह के रूप में पेश करना आवश्यक नहीं समझा। इस गवाह की प्रति-परीक्षण में यह सामने आया कि

वह अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था, यद्यपि मृतका के परिवार से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, और पूरे अंतिम संस्कार के दौरान अभियुक्त वास्तव में उपस्थित था। हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि इसके बावजूद इस गवाह ने न तो थिलगावल्लि के पति सुब्बैया (अभियोजन साक्षी -1) को कुछ बताया और न ही पुलिस को, तथा उसका बयान पूरे तीन दिन तक दर्ज नहीं किया गया। अब यदि गवाह ने अभियुक्त को थिलगावल्लि का पीछा करते हुए देखा था और उसे थिलगावल्लि की हिंसक मृत्यु के बारे में भी जानकारी थी, तथा उसने अभियुक्त को अंतिम संस्कार में भी देखा था, तो यह समझ से परे है कि उसने यह बात किसी को बताए बिना चुप्पी क्यों साधे रखी। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो अन्वेषण अधिकारी कृष्णासामी (अभियोजन साक्षी -13) से विशेष रूप से यह प्रश्न पूछा गया कि इन गवाहों, अर्थात् अलवारसामी (अभियोजन साक्षी -4), एक पेरुमलसामी और रामासुब्बु से उसी दिन पूछताछ क्यों नहीं की गई। अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया कि वह इस बात का कोई कारण नहीं बता सकता कि इन गवाहों से उसी दिन पूछताछ क्यों नहीं की गई। उसने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को अभियुक्त पर संदेह केवल अलवारसामी (अभियोजन साक्षी -4) और रामासुब्बु से पूछताछ के बाद हुआ। यह निर्विवाद स्थिति है कि इन गवाहों के बयान 21.1.1995 तक दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि इन गवाहों के बयान दर्ज करने में हुई देरी और अलवारसामी (अभियोजन साक्षी -4) द्वारा बनाए रखी गई पूर्ण चुप्पी उसे अत्यंत अविश्वसनीय गवाह बनाती है। हमारे विचार में, विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ने इस महत्वपूर्ण परिस्थिति को उचित महत्व नहीं दिया। अपीलीय न्यायालय ने लगभग क्षमायाचना करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को बिना समय गंवाए अलवारसामी (अभियोजन साक्षी -4) का बयान दर्ज कर लेना चाहिए था। तथापि, अपीलीय न्यायालय ने उसका साक्ष्य स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्यवश, अपीलीय न्यायालय ने इस परिस्थिति पर भी विचार नहीं किया कि इस गवाह के अनुसार अभियुक्त अंतिम संस्कार में उपस्थित था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण परिस्थिति अपीलीय न्यायालय की दृष्टि

से ओझल रह गई। सामान्यतः हम अपनी अपीलीय अधिकारिता में साक्ष्यों की चर्चा नहीं करते, किन्तु जब यह पाया जाता है कि महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ अपीलीय न्यायालय और/या विचारण न्यायालय के ध्यान से छूट गई हैं, तब यह न्यायालय इस आशंका से साक्ष्यों पर विचार करेगा कि कहीं कोई अन्याय न हो जाए। हमारे विचार में अलवारसामी (अभियोजन साक्षी -4) के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था। इससे पहली परिस्थिति समाप्त हो जाती है।

8. दूसरी परिस्थिति निस्संदेह अभियुक्त से आभूषणों की बरामदगी से संबंधित है। इस संदर्भ में हमें पुनः सुभैया (अभियोजन साक्षी -1) की गवाही की ओर लौटना होगा, जिसने अपनी प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि थिलागवल्ली के दोनों कान के बुंदे उसके शरीर से गायब थे। हमने मूल प्रथम सूचना प्रतिवेदन देखी है, जिसमें स्पष्ट रूप से "एक जोड़ी कान के बुंदें " का उल्लेख है। जब हम उसकी गवाही देखते हैं, वहाँ भी सुभैया (अभियोजन साक्षी -1) ने कहा कि उसके शरीर पर दोनों कान के बुंदे उपलब्ध नहीं थे। अभियोजन की कहानी यह है कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने एक कान का बुंदा शंकर (अभियोजन साक्षी -6) की दुकान में बेच दिया था, अर्थात मानो उसने केवल एक ही कान का बुंदा निकाला हो और दूसरा बुंदा मृतका के शरीर पर ही रह गया हो। जब हम पंचनामा (प्रदर्श-पी-20) देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि मृतका के शरीर पर एक कान का बुंदा मौजूद था। इसलिए इससे, प्रथम, सुभैया (अभियोजन साक्षी -1) की गवाही को और द्वितीय, जाँच एजेंसी की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुँचता है। इतना ही पर्याप्त नहीं है, जब घटना के लगभग 12 दिन बाद 1.2.1995 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, तब कहा गया कि उसने स्वीकार किया कि उसने शंकर (अभियोजन साक्षी -6) की दुकान में "एक" कान का बुंदा बेचा था। जब हम शंकर (अभियोजन साक्षी -6) की गवाही देखते हैं, तो सामने आता है कि उसने कहा कि अभियुक्त एक कान का बुंदा बेचने आया था, परंतु उसने खरीदने से इनकार कर दिया क्योंकि वह केवल जोड़ी में से एक टुकड़ा था जिसे अभियुक्त

बेचने की पेशकश कर रहा था। इसके बाद वह कहता है कि उसने जाँच एजेंसी को एक जोड़ी कान के बुंदे दिए, जो अंततः न्यायालय के समक्ष भौतिक वस्तु संख्या 7 के रूप में प्रस्तुत हुए। यह तथ्य स्वयं जाँच एजेंसी की विश्वसनीयता को गंभीर आघात पहुँचाता है, क्योंकि स्पष्टतः कान के बुंदों की जोड़ी शंकर (अभियोजन साक्षी -6) की दुकान से जब्त की गई प्रतीत होती है, जबकि अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त ने केवल एक कान का बुंदा बेचा था और दूसरा बुंदा थिलागवल्ली के शव पर ही रह गया था। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में शंकर (अभियोजन साक्षी -6) से यह कहलवाया गया कि जब अभियुक्त आया था, तब वह एक चेन भी लाया था और वह उस चेन को खरीद लेता क्योंकि उसका व्यवसाय आभूषण बेचना था, खरीदना नहीं। गवाह ने महत्वपूर्ण रूप से उस चेन की पहचान भौतिक वस्तु संख्या 5 के रूप में भी की। प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भौतिक वस्तु संख्या 7 श्रृंखला उसकी अपनी संपत्ति थी तथा भौतिक वस्तु संख्या 5 जैसी अनेक चेनें हो सकती थीं क्योंकि वह एक सामान्य प्रकार का आभूषण है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उस चेन का कोई विशेष विवरण नहीं दे सकता क्योंकि उस प्रकार की गेहूँ डिज़ाइन वाली बहुत-सी चेनें हो सकती हैं। बरामदगी के संबंध में दूसरा गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा थिलागवल्ली का एक कान का बुंदा चोरी करने और बाद में उसे शंकर (अभियोजन साक्षी -6) की दुकान में बेचने का सिद्धांत एक मिथक है। हम जाँच एजेंसी के इस प्रयास पर भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि उसने एक कान के बुंदे के स्थान पर पूरी जोड़ी प्रस्तुत कर दी। वास्तव में, अपनी मुख्य परीक्षा में शंकर (अभियोजन साक्षी -6) कहता है कि उसे थाने बुलाया गया था और चूँकि वह व्यस्त समय था, उसने एक जोड़ी कान के बुंदे दे दिए। उसने उन्हीं की पहचान भी की और अभियोजन की ओर से कान के बुंदों के विषय में उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अतः यह स्पष्ट है कि थिलागवल्ली के आभूषणों के तत्काल कब्जे का सिद्धांत, कम से कम जहाँ तक कान के बुंदों का प्रश्न है, पूर्णतः विफल हो जाता है। जाँच एजेंसी निष्पक्ष नहीं रही और

उसने कान के बुंदों की जोड़ी को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वे कान के बुंदे अभियुक्त से बरामद हुए हों।

9. इससे हम अन्य दो आभूषणों, अर्थात् सोने की चेन और तीन सॉवरेन वज़न वाले थाली कटोरे की ओर आते हैं। ये भौतिक वस्तु संख्या 5 और 6 हैं। अभियोजन की कहानी के अनुसार, ये आभूषण अभियुक्त द्वारा उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद डॉ. आनंदराज (अभियोजन साक्षी -7) के औषधालय के निकट दिए गए थे। अभियोजन साक्षी -7 की परीक्षा की गई। वह न तो गिरफ्तारी की घटना का समर्थन करता है और न ही अभियुक्त से सोने के आभूषणों की बरामदगी का। मुख्य गवाह अभियोजन साक्षी -5 दामोदरन है। उसकी गवाही भी किसी प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं करती। उसके अनुसार, गिरफ्तारी के समय अभियुक्त ने भौतिक वस्तु संख्या 5 और 6 निकाले। डॉ. आनंदराज (अभियोजन साक्षी -7) के औषधालय में वास्तव में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी, इसका कोई सकारात्मक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम नहीं मानते कि अभियुक्त से इस प्रकार की आकस्मिक बरामदगी की कहानी पर विश्वास किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में अभियुक्त को घटना के 12 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। यह मानना अनुचित होगा कि अभियुक्त इतने समय तक उन आभूषणों को अपने साथ लेकर घूम रहा होगा और उन्हें डॉक्टर के पास भी साथ ले गया होगा, जहाँ वह उपचार के लिए गया था। इस पृष्ठभूमि में जब हम कृष्णासामी (अभियोजन साक्षी -13) की गवाही देखते हैं, तो वह दावा करता है कि सूचना मिलने पर 1.2.1995 को आलंगुलम आनंदराज अस्पताल के सामने मुथुराज और दामोदरन की उपस्थिति में गिरफ्तारी की गई। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जाँच एजेंसी द्वारा कोई गिरफ्तारी पत्र तैयार नहीं किया गया, जबकि तमिलनाडु में ऐसा पत्र तैयार करना एक सामान्य प्रथा है। समकालीन साक्ष्य के अभाव में, हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि ये आभूषण वास्तव में अभियुक्त के पास से मिले थे और उसने स्वीकारोक्ति कथन के साथ उन्हें सौंप दिया था। हम पहले ही अभियुक्त के कथित कथन के आधार पर कान के बुंदे

की बरामदगी की कहानी को अस्वीकार कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में, अभियोजन द्वारा अभियुक्त से इन आभूषणों की बरामदगी के संबंध में प्रस्तुत कहानी को स्वीकार करना हमें सुरक्षित नहीं लगता। जाँच अधिकारी कृष्णासामी (अभियोजन साक्षी -13) ने अपनी गवाही में कहा कि इसके बाद लगभग सुबह 9 बजे उसने उन्हीं गवाहों की उपस्थिति में डंडा (लाठी) और अरुवल जब्त किए। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अरुवल को कभी परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया कि उस पर रक्त था या नहीं, और लाठी पर भी कोई रक्त नहीं पाया गया। अतः यह भी एक अत्यंत महत्वहीन परिस्थिति है।

10. मानो यह सब पर्याप्त न हो, जब हम पुनः सुब्बैया (अभियोजन साक्षी -1) की गवाही पर लौटते हैं, तो उसके मुख्य परीक्षण में उसने उन आभूषणों की पहचान के बारे में दूर-दूर तक कोई उल्लेख नहीं किया और न ही उन आभूषणों के किसी विशेष पहचान-चिह्न का स्पष्ट दावा किया। इस मामले का संचालन करने वाले लोक अभियोजक संभवतः यह पूरी तरह भूल गए थे कि कम-से-कम मुख्य परीक्षण में सुब्बैया (अभियोजन साक्षी --1) से उन आभूषणों की पहचान तो करवा लेते। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जिरह समाप्त होने के बाद, पुनः परीक्षण में पहली बार उसकी पत्नी के कपड़ों और उसके द्वारा पहने गए आभूषणों का विषय उठाया गया और तब उसने भौतिक वस्तु संख्या 1 अर्थात उसके द्वारा पहनी गई साड़ी, भौतिक वस्तु संख्या 2 उसका पीले रंग का पेटीकोट, भौतिक वस्तु संख्या 3 उसका नीले रंग का ब्लाउज़, भौतिक वस्तु संख्या 4 थाली की डोरी, भौतिक वस्तु संख्या 5 तीन सॉवरेन वज़न की गेहूँ डिज़ाइन वाली सोने की चेन और भौतिक वस्तु संख्या 6 थाली कटोरे की पहचान की। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कान के बुंदों की भी पहचान की, जो भौतिक वस्तु संख्या 7 श्रृंखला थे, जिनके संबंध में यह निष्कर्ष पहले ही निकल चुका है कि वे बुंदे कभी उसकी पत्नी के नहीं थे और वास्तव में शंकर (अभियोजन साक्षी -- 6) द्वारा दिए गए थे। अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह चेन पुराने आभूषणों से बनाई गई थी और उसे यह याद नहीं था कि वह चेन किस तिथि को बनाई गई थी। इस

प्रकार यह लापरवाहीपूर्ण साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करने के लिए अत्यंत अपर्याप्त है कि कथित आभूषण तिलगावल्ली के थे और उसके शरीर पर थे। हम नहीं जानते कि मुख्य परीक्षण के समय लोक अभियोजक क्या कर रहे थे और उन्होंने गवाह से इन आभूषणों के संबंध में प्रश्न क्यों नहीं किए। हम यह भी नहीं समझते कि विचारण न्यायालय ने पुनः परीक्षण में ऐसे प्रश्नों की अनुमति कैसे दी। पुनः परीक्षण का उद्देश्य केवल जिरह में उत्पन्न हुए संदेहों का स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है। कोई व्यक्ति पुनः परीक्षण के माध्यम से मुख्य परीक्षण की कमी पूरी नहीं कर सकता और पहली बार पूर्णतः नए तथ्यों को प्रस्तुत करना प्रारम्भ नहीं कर सकता, जिनका जिरह से कोई संबंध ही न हो। स्पष्टतः, ऐसे पुनः परीक्षण की अनुमति देकर विचारण न्यायालय ने त्रुटि की। जो भी हो, भले ही हम यह मान लें कि विचारण न्यायालय पुनः परीक्षण की अनुमति देने में उचित था, तब भी हमारी दृढ़ राय में पुनः परीक्षण की सामग्री का साक्ष्यात्मक मूल्य शून्य है।

11. इससे हम पुनः अन्वेषण अधिकारी की उदासीनता की ओर आते हैं, जिसने आभूषणों की पहचान कराने के लिए पहचान परेड आयोजित नहीं कराई। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों नहीं किया गया और क्यों इस प्रकार के कमजोर साक्ष्य (न्यायालय में पहली बार की गई पहचान) को प्रस्तुत किया गया। अतः, हमारे मत में, प्रथम परिस्थिति के साथ-साथ दूसरी और तीसरी परिस्थिति भी अपना समस्त महत्व खो देती हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि तिलगावल्ली की मृत्यु के तुरंत बाद अभियुक्त उसके आभूषणों के कब्जे में था।

12. जहाँ तक चौथी परिस्थिति का संबंध है, हमारा विचार है कि मृतका को हुई अस्थिभंग चोटों का स्पष्टीकरण देना अभियोजन का दायित्व था। वैसे भी, वह परिस्थिति अत्यंत नगण्य महत्व की है।

13. सुब्बैया की गवाही में यह भी सामने आया है कि अभियुक्त उसके परिवार के सदस्यों का परिचित व्यक्ति था। यह विचारणीय है कि जिस व्यक्ति को मृतका जानती थी, वह उसे लूटने का साहस क्यों करता। वर्तमान मामले में लूट का उद्देश्य उपस्थित प्रतीत नहीं

होता। ऐसे मामले में, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, उद्देश्य का अभाव प्रतिरक्षा के पक्ष में अधिक अनुकूल होता है।

14. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. कनगराज ने इस तथ्य से कुछ समर्थन लेने का प्रयास किया कि अभियुक्त के शरीर पर पहनी हुई जैकेट पर मानव रक्त पाया गया था। हमारे मत में, यह परिस्थिति महत्वहीन है, विशेषकर इसलिए क्योंकि रक्त समूह की जाँच नहीं की गई और दूसरी बात, यह अत्यंत अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि अभियुक्त बारह दिनों तक वही रक्तरंजित कपड़े पहने रखेगा। संक्षेप में, हमारा स्पष्ट मत है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 तथा धारा 392 सहपठित धारा 397 के अपराधों में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने में त्रुटि की है। अतः, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय दोनों के निर्णयों को निरस्त करते हैं तथा अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का निर्देश देते हैं। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो अभियुक्त को तत्काल रिहा किया जाए।

अपील स्वीकार की जाती है।

एन. जे.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।